



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 वैशाख 1948 (श10)  
(सं0 पटना 494) पटना, वृहस्पतिवार, 14 मई 2026

सं०-3ए-3-भत्ता-01/2022-4550/वि०  
वित्त विभाग

संकल्प  
14 मई 2026

विषय:- सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनसंरचना में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.01.2026 के प्रभाव से 58% के स्थान पर 60% महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभागीय संकल्प सं०-10545, दिनांक-06.10.2025 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.07.2025 के प्रभाव से 58% की दर से महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गई थी।

2. भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप सं०-1/1(i)/2026-E.II(B), दिनांक-22.04.2026 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-42/02/2024-P&PW(D)/E-9475, दिनांक-24.04.2026 के द्वारा सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनसंरचना में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.01.2026 के प्रभाव से महँगाई भत्ता/राहत की दर 58% से बढ़ाकर 60% स्वीकृत किया गया है।
3. राज्य सरकार सामान्यतः अपने सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।
4. 4.1. अतः उक्त के आलोक में सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01.01.2026 के प्रभाव से 58% के स्थान पर 60% महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी जाती है।  
4.2. सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' का तात्पर्य पे-मैट्रिक्स में विहित वेतनस्तर में आहरित किए जाने वाले वेतन से है। इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।

- 4.3. पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महुँगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित किया जाएगा।
- 4.4. महुँगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।
- 4.5. उपर्युक्त महुँगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जायगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबन्धिक रूप से कर दिया जायेगा।
- 4.6. पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में उक्त महुँगाई भत्ता/राहत का भुगतान मा० मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/ मा० अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/मा० सभापति, बिहार विधान परिषद की स्वीकृति से देय होगा।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
रचना पाटिल,  
सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 494-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>